तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16-4-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है वास्ते जवाब पत्रावली 28-4-26 को पेश हो।
28-4-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीगण की तलबी होने पश्चात अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पत्रावली दिनांक 5-5-26 को पेश हो।
5-5-26	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी

श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

81 / प्रा0पत्र / 2025

दायरा दिनांक 16.09.2025

बउनवान

1. मजुंला राठौड पत्नी स्व0 सुखपाल जाति राजपूत निवासी थर्मल रोड कुन्हाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
2. नविता राठौड पुत्री सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी थर्मल रोड कुन्हाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
3. जतिनपाल सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति राजपूत निवासी थर्मल रोड कुन्हाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. बाबूलाल आ0 केसरीलाल जाति मीणा निवासी उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. मनोज बाई पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः– 05.05.2026

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ख0सं0 697 रकबा 1.34 हैक्ट0 वाके ग्राम माल उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है उक्त कृषि भूमि के खातेदार टीनेन्ट प्रार्थीगण है एंव काबिज होकर काश्तकारी करते चले आ रहे है किन्तु प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि की सीमाओ की जानकारी व पत्थरगढी करवाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थीगण कृषि भूमि की तार फेंसिग करवाना चाहते है इसलिए अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी व सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया गया लेकिन सीमाज्ञान की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं की स्पष्ट जानकारी चिन्हित नही की गई है कि कृषि भूमि की सीमाएं कहा अंकित है इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की सीमाए व पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण की खाते एंव कब्जे की कृषि भूमि के सीमाज्ञान के संबंध में कोई विवाद उत्पन न हो व कृषि भूमि का रकबा सुरक्षित रहे इस कारण सीमाकंन कर पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 26.06.2025 को निवेदन किया कि मेरी भूमि की पत्थरगढी व सीमाकंन किया जावे किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह कहा गया कि न्यायालय में जाकर पत्थरगढी का आदेश लेकर आवें इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय की शरण में आये है। ओर अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाबन्दी अनुसार सीमाचिन्ह लगाये जाकर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिए जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दिनांक 28.04.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

हमारे द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के मुताबिक आराजी खसरा संख्या 697 रकबा 1.34 हैक्टर, ग्राम उतराना पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की सीमाओं की पुख्ता निशानदेही के लिए पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकारी है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एंव सलग्न दस्तावेज से यह भी प्रतीत होता है कि उक्त सीमाज्ञान संबन्धित पूर्व में भी विवाद होना स्पष्ट होता है प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.06.2025 को भी सीमाज्ञान कराया गया था प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पुख्ता पैमाइश कराकर पत्थरगढी कराने के अनुतोष चाहते है जिससे सीमा विवाद समाप्त हो जायें। ओर अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी के आदेश फरमाये जावे।

हमारे द्वारा प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के सीमाकंन हेतु भविष्य मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन न हो कृषि भूमि का रकबा सुरक्षित रहे व अन्य पडौसी काश्तकारो की दखलन्दाजी होने से विवाद नही बढने हेतु पत्थरगढी करवाने हेतु अनुताष चाहा गया है। प्रार्थना पत्र में भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया भूमिधारी तहसीलदार द्वारा कोई

उपखण्ड अधिकारी

जवाब पेश नही किया गया ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर भविष्य में कृषि भूमि सीमाकंन संबंधी विवाद उत्पन न हो को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ख0सं0 697 रकबा 1.34 हैक्टर, ग्राम उतराना पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि का राजस्व टीम गठित कर मौके पर सीमाकंन बन्दोबस्त नक्शेनुसार सीमाए चिन्हित कर पत्थरगढी करवायी जावे। आराजी के सीमाकंन एंव पत्थरगढी कायम करने में होने वाले व्यय को स्वंय प्रार्थीगण कृषक खातेदार द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)